



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड-249404

संख्या :: 385(2)/02/E-05/DR/Pol. Const./2022-23

दिनांक :: 01 मई, 2023

विस्तृत विज्ञप्ति

पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी/पी0ए0सी0/आई0आर0बी0/अग्निशामक
(पुरुष/महिला) परीक्षा-2021 के सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी/पी0ए0सी0/आई0आर0बी0/अग्निशामक(पुरुष/महिला) परीक्षा-2021 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या: 42 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दिनांक: 18 दिसम्बर, 2022 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर मा0 आयोग द्वारा औपबन्धिक रूप से अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची-3 (Documents Verification List-3) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा घोषित की गयी है।

02- प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन -पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित कुल अर्ह अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया 2022 (यथा संशोधन) में विहित प्राविधानानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

03- अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए, सन्निरीक्षा का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 08 मई, 2023 को किया जाना प्रस्तावित है-

प्रथम सत्र अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम
दिनांक: 08 मई, 2023 प्रातः 9.00 बजे से
अनुक्रमांक

114200003345	1142000006419	1142000010608	1142000011222	1142000013792	1142000014495
1142000014869	1142000015233	1142000015698	1242000000921	1242000002981	1242000003275

1242000003558	1242000004114	1242000004893	1242000007108	1342000000442	1342000000775
1342000001145	1342000001682	1342000002837	1342000005274	1342000007558	1342000007752
1442000000398	1442000001137	1442000001569	1442000002468	1442000002635	1442000003561
1442000005278	1442000006073	1442000006217	1442000006343	1442000006740	1442000006847
1442000006944	1442000007967	1542000001574	1542000001926	1542000001959	1542000002768
1542000003521	1542000004257	1542000005976	1542000006269	1542000007210	1542000007994
1542000010740	1542000011357	1542000012218	1542000012293	1542000013456	164200001031
1642000001287	1642000001698	1642000001707	1642000002519	1642000002576	1642000004349
1642000004834	1642000006298	1642000009585	1642000009730	1642000011284	1642000012131
1642000012569	1642000015577	1642000016992	1642000018443	1642000018916	1642000020198
1642000022889	1642000023788	1642000023908	1642000024015	1642000026050	1642000026421
1642000029911	1642000030423	1642000030736	1642000031418	1742000020518	1742000020869
1742000021041	1742000021414	1742000021847	1742000021888	1742000022811	1742000022913
1742000023027	1742000023588	1742000023710	1742000023846	1742000023948	

द्वितीय सत्र अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम
दिनांक: 08 मई, 2023 अपराह्न 1.00 बजे से
अनुक्रमांक

1742000024024	1742000024384	1742000024556	1742000024891	1742000025006	1742000026303
1742000026601	1742000027465	1742000027753	1742000028091	1742000028095	1742000028381
1742000029091	1742000029393	1742000029683	1742000029848	1742000029933	1742000031393
1742000031635	1742000031832	1742000031921	1742000032351	1742000032414	1742000032563
1742000032662	1742000032694	1742000032723	1742000032754	1742000033269	1742000034348
1742000034687	1742000034793	1742000034898	1742000035634	1742000035807	1742000036839
1742000037322	1742000037572	1742000038308	1742000038652	1742000038678	1742000056674
1742000056933	1742000057234	1842000000464	1842000001543	1842000002553	1842000003698
1842000004356	1842000004512	1842000005469	1842000005507	1842000007054	1842000008442
1842000009461	1842000009903	1842000010583	1842000011000	1842000011462	1942000000519
1942000002159	1942000003272	1942000003876	1942000007005	1942000010717	2042020000421
2042020001632	2042020002040	2142000005442	2142000007087	2142000008142	2142000008547
2242020000207	2242020001612	2242020002056	2242020002604	2242020002966	2242020003131
2242020003179	2242020003996	2242020004043	2342020000606	2342020001009	2342020002744

नोट— अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रथम सत्र हेतु प्रातः 09:00 बजे से एवं द्वितीय सत्र हेतु अपराह्न 01.00 बजे से प्रारम्भ होगा।

(4) इस ज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे—

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुक्रमांक सहित)।

(ख) विस्तृत आवेदन-पत्र (**Detailed Application Form**)(प्रपत्र संख्या-02)

(ग) प्रमाणीकरण-पत्रक (**Attestation Form**) (प्रपत्र संख्या-03)

(घ) देशना-पत्रक (**Index Card**) (प्रपत्र संख्या-04)।

05— अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गये दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे:—

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण -पत्र। (यदि लागू हो)।
- 4) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 5) विज्ञापन के बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित प्राविधानानुसार " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिको एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

कोई एक अर्हता धारित करता हो संबंधी प्रमाण-पत्र/अभिलेख।

- 6) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - 7) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।
 - 8) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
 - 9) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 42 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड-पे 2000) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
 - 10) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक-तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र (Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
 - 11) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्रों पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के अतिरिक्त)
 - 12) पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण -पत्र। (यदि लागू हो)।
 - 13) उपरोक्त क्रमांक 1 से 12 पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। (अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें)।
- 06-** यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।
- 07-** आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।
- 08-** अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।